

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

\*\*\*\*\*

**अधिसूचना सं.34/2020-सीमा शुल्क (गै.टै.)**

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2020  
7 चैत्र, 1942 (शक)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्यां 27 /2020 -सीमा शुल्क(गै.टै.) दिनांक 19 मार्च में दिनांक 28 मार्च 2020 से निम्नलिखित संसोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 10 और 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

अनुसूची-1

क्रं.सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
		(क)	(ख)
(1)	(2)	(3)	
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यातित माल के लिए)
10.	नॉर्वेजियन क्रोनर	7.30	7.05
11.	पाउण्ड स्टर्लिंग	93.65	90.35

(फा.सं. 468/01/2020 सीमा शुल्क-V)

(प्रमोद कुमार)  
निदेशक  
टेलीफ़ोन नं. 011-2309 5541